ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (HISTORICAL BACKGROUND)

यह विषय Prelims और Mains दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, आप इसे आधुनिक भारतीय इतिहास- यूरोपियों का आगमन, ब्रिटिश शासन और उनकी नीतियों में भी देख सकते हैं।

जानने योग्य बिंदु:

- 1600 में ब्रिटिश व्यापारिक उद्देश्य लेकर भारत आए (EAST INDIA Company-ईस्ट इण्डिया कम्पनी के पास शुद्ध रूप से व्यापारिक कार्य थे)
- बंगाल की दीवानी 1765 ई. में मुगल वंश के बादशाह शाहआलम द्वितीय ने अंग्रेज़ ईस्ट इण्डिया कम्पनी को प्रदान की थी। 1764 ई. में बक्सर के युद्ध में अवध के नवाब के पराजित हो जाने पर कम्पनी ने इलाहाबाद तथा उसके आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। कम्पनी ने यह क्षेत्र सम्राट को देकर इसके बदले में 'बंगाल की दीवानी' प्राप्त कर ली। इसके तहत भारत में अंग्रेज़ो के एक क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई।
- अब यहाँ कम्पनी को राजस्व की वसूली का अधिकार प्राप्त होने का अर्थ यह था कि कम्पनी को व्यावहारिक रूप से प्रांतीय शासन करने का अधिकार है, क्योंकि राजस्व की वसूली को सामान्य प्रशासन से अलग करना कठिन था।
- 1857 का विद्रोह - जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या 'सिपाही विद्रोह' के रूप में भी जाना जाता है
- अगस्त 1858 ई. में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित कर भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया| इस अधिनियम द्वारा भारत के शासन का नियंत्रण ब्रिटिश सम्राट को सौंप दिया गया। ब्रिटेन की सरकार के एक मंत्री ,जिसे भारत सचिव कहा जाता था ,को भारतीय सरकार का उत्तरदायित्व सौंपा गया |
- 15 अगस्त, 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रूप से शासन जारी रहा।

हमें इस अध्याय का अध्ययन क्यों करना चाहिए?

- यह अध्याय यूपीएससी का अत्यधिक महत्वपूर्ण और पसंदीदा है। लगभग हर वैकल्पिक वर्ष में इस अध्याय (प्रारंभिक और मुख्य दोनों) से प्रश्न होते हैं।
- हमारे भारतीय संविधान और राजनीति की विभिन्न विशेषताओं की जड़ें ब्रिटिश शासन में हैं। इसलिए, एक आकांक्षी के रूप में, कुछ घटनाओं को जानना महत्वपूर्ण है, जिन्होंने ब्रिटिश भारत में सरकार एवं प्रशासन के संगठन और कामकाज के लिए कानूनी ढांचा तैयार किया था।
- साथ ही, इन घटनाओं का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने हमारे संविधान और राजनीति को बहुत प्रभावित किया है।

उम्मीदवारों द्वारा सामना की जाने वाली सामान्य समस्याएं: (Common problem faced by aspirants)

- इतनी सारी घटनाएँ हैं, मैं कैसे याद रखूँगा/रखूँगी?

IASBABA

- प्रत्येक अधिनियम में इतनी सारी विशेषताएं हैं। मैं भ्रमित हो जाता हूँ।☹
- राजव्यवस्था बोरिंग है। मैं इसे भूलता रहता हूं। "The rate of evaporation is way too high"

समाधान: कहानी या चित्रों में चीजों को याद रखना हमेशा आसान होता है। आशा है ये मदद करेगा:

- आइए पहले हम समय-रेखा का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करें। क्या आप दो शासनों की पहचान कर सकते हैं? -

कंपनी का शासन (1773-1858) और ताज का शासन (1858-1947)

- अब सोचो - ये शासन क्या हैं? अंग्रेज़ ईस्ट इण्डिया कम्पनी भले ही 1600 में आयी थी, लेकिन इस तरह के कोई शासन नहीं थे और 1773 में कंपनी का शासन अचानक क्यों शुरू हुआ?

इन दो शासनों के तहत 3 अधिनियमों को याद करने का प्रयास करें:

कंपनी का शासन (1773-1858)	क्राउन/ ताज का शासन/ CROWN RULE (1858–1947)
1. रेगुलेटिंग अधिनियम	1. भारत सरकार अधिनियम
2. पिट्स इंडिया एक्ट	2. भारतीय परिषद अधिनियम
3. चार्टर अधिनियम	3. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम

कंपनी का शासन(1773–1858)

1773 तक, ईस्ट इंडिया कंपनी को वित्तीय संकटों का सामना करना पड़ा, उन्हें अन्य देशों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी और एकाधिकार बनाए रखने में भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था।

कंपनी, ब्रिटिश साम्राज्य के लिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि यह भारत में और पूर्व में एकाधिकार व्यापारिक कंपनी थी और कई प्रभावशाली लोग इसमें शेयरधारक थे।

अब, इन शेयरधारकों (उनमें से कुछ सांसद थे) ने सोचा -

"हम इस ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ क्या करेंगे? वे पर्याप्त मुनाफा नहीं ला पा रहे हैं और अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं। हमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के प्रबंधन को संभालने के लिए एक अधिनियम का निर्माण करना चाहिए। "

"हाँ, हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर कुछ नियंत्रण और विनियमन हो - हम्म .. हम इसे रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं"।

1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम

क्यों महत्वपूर्ण है यह अधिनियम?

- भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था ,
- इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनैतिक कार्यों को मान्यता मिली , एवं ;

- इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गयी।

अधिनियम की विशेषताएं:

इस अधिनियम ने कंपनी को भारत में अपनी क्षेत्रीय संपत्ति बनाए रखने की अनुमति दी लेकिन कंपनी की गतिविधियों और कामकाज को विनियमित करने की मांग की। इसने पूरी तरह से सत्ता अपने हाथ में नहीं ली, इसलिए इसे रेगुलेटिंग' कहा जाता है।

- इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को ' बंगाल का गवर्नर जनरल ' पद नाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए एक चार सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया।

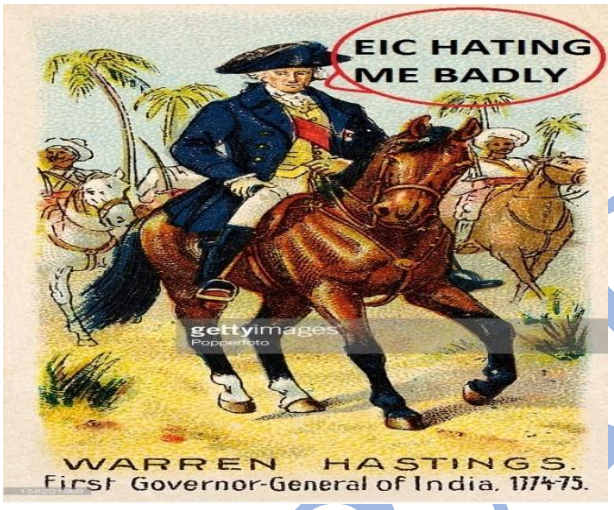

इस तरह के पहले गवर्नर-जनरल **लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स** (1774-1785) थे।

कैसे याद करें? - इस अधिनियम तक, कंपनी बिना किसी नियंत्रण के भारत में आनंद ले रही थी। लेकिन अब उन्हें नियंत्रित करने के लिए एक कार्यपालक आया। तो कंपनी ने उससे नफरत करना शुरू कर दिया। (हेटिंग का अर्थ है नफरत)☐ **वारेन हेस्टिंग्स**

- बंगाल के गवर्नर को 'बंगाल का गवर्नर-जनरल' बनाया गया और बॉम्बे और मद्रास प्रेसीडेंसी के गवर्नरों को उनके अधीनस्थ बनाया गया। (इसलिए, ये गवर्नर भी उससे "नफरत" कर रहे थे)
- नफरत होने के कारण साल भर लड़ाई-झगड़े होते रहते थे। इसे हल करने के लिए, **अधिनियम ने सर्वोच्च न्यायालय (1774) की स्थापना का प्रावधान किया।**
- वास्तविक उद्देश्य भ्रष्ट कंपनी को नियंत्रित और प्रबंधित करना था, ☐इसलिए अधिनियम ने कंपनी के कर्मचारियों को किसी भी निजी व्यापार में शामिल होने या भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया।
- कंपनी के निदेशक/डायरेक्टर्स पांच साल की अवधि के लिए चुने गए थे और उनमें से एक-चौथाई हर साल सेवानिवृत्त होते थे। साथ ही उनका दोबारा चुनाव नहीं हो सकता था।
- इस अधिनियम के द्वारा , ब्रिटिश सरकार का ' कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ' (कंपनी की गवर्निंग बॉडी) के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया । इसे भारत में इसके राजस्व , नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया ।
- 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें सर एलिजा इम्पे पहले मुख्य न्यायाधीश थे। सर्वोच्च न्यायालय का ब्रिटिश प्रजा पर दीवानी और फौजदारी का अधिकार था, न कि भारतीय मूल के लोगों पर।

सार: (विनियमन अधिनियम)

IASBABA

ईआईसी के मामलों को नियंत्रित करने और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा रेग्युलेटिंग अधिनियम पारित किया गया था □क्योंकि उन्हें असीमित राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकार मिले थे □इसलिए केंद्रीय प्रशासन के लिए □बंगाल के गवर्नर जनरल + 4 कार्यकारी परिषद के सदस्यों + 2 अधीनस्थ गवर्नर (मद्रास और बॉम्बे) की आवश्यकता होती है। □ असंतोष की शुरुआत जिससे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई □ ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण= कोई निजी व्यापार व रिश्वत नहीं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ब्रिटिश सरकार को कंपनी के सभी मामलों की रिपोर्ट करना आवश्यक था।

तो क्या रेग्युलेटिंग एक्ट ने सहायता की?

- नहीं, कुछ कमियाँ विद्यमान थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स (सीओडी) भ्रष्ट थे।
- इसलिए, 1781 में, ब्रिटिश सरकार ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को इस बारे में पूछताछ करने के लिए बुलाया और रेगुलेटिंग एक्ट के कमियों को सुधारने का प्रयास किया।
- रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 में पारित किया, जिसे एक्ट ऑफ़ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है।

पिट्स इंडिया एक्ट 1784

- फिर से, ब्रिटिश सरकार 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को सुधारना चाहती थी, इसलिए उन्होंने 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया।

जिसका नाम ब्रिटेन के तत्कालीन युवा प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर रखा गया था।

- ब्रिटिश शासकों ने पाया कि कंपनी के अधिकारियों की भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार के कारण कंपनी घाटे में चल रही थी। ब्रिटिश सरकार ने अधिक सक्रिय भूमिका निभाने और कंपनी के मामलों में हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। इसलिए यह ब्रिटिश संसद द्वारा 1784 के पिट्स इंडिया बिल के तहत नियंत्रण बोर्ड स्थापित करने का महत्वपूर्ण कदम था।
- इसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को वाणिज्यिक मामलों का प्रबंधन करने की अनुमति दी, लेकिन राजनीतिक मामलों का प्रबंधन करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक एक नया निकाय बनाया। छह सदस्यों के साथ बोर्ड स्थापित किया गया था जिसमें दो ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य थे और चार प्रिवी काउंसिल के थे। बोर्ड का अध्यक्ष जल्द ही ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों का मंत्री बन गया।
- इस प्रकार, इसने द्वैध शासन की व्यवस्था की एक प्रणाली स्थापित की गयी।
- नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक , सैन्य सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे।
- अभी भी भारत के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा और उसे कंपनी के अधिकारियों को नियुक्त करने या हटाने का अधिकार प्राप्त था |

IASBABA

सार: पिट्स इंडिया एक्ट

1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कमियाँ थी □ 1781 का एक्ट ऑफ़ सेटलमेंट □ 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट (1773 के अधिनियम की कमियों को दूर करने के लिए लाये गए थे)

ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यावसायिक और राजनीतिक कार्य पृथक किए गए। □कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का व्यावसायिक मामलों पर नियंत्रण, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का राजनीतिक मामलों पर नियंत्रण □ बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अधिक शक्ति प्रदान की और अधिक सशक्त बनाया गया था" □ इसके साथ, ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों पर सर्वोच्च नियंत्रण प्राप्त कर लिया।

लेकिन अभी भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास वाणिज्यिक या व्यापारिक मामलों के संबंध में कुछ शक्तियां थी। इसलिए, ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण की दिशा में अंतिम कदम चार्टर अधिनियम द्वारा अपनाया गया था।

चूंकि, पिट्स इंडिया एक्ट में, उन्होंने पहली बार "ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र" कहा, ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश भारत के आधिपत्य को उजागर करने के लिए "चार्टर" तैयार करने का निर्णय लिया।

1813 का चार्टर अधिनियम

ब्रिटिश संसद द्वारा पारित 1813 के चार्टर अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को और 20 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया। इसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट, 1813 भी कहा जाता है।

पार्श्वभूमि:

यूरोप में नेपोलियन बोनापार्ट की महाद्वीपीय प्रणाली (जिसने यूरोप में फ्रांसीसी सहयोगियों में ब्रिटिश सामानों के आयात पर रोक लगा दी थी) के परिणामस्वरूप ब्रिटिश व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ा। परिणामस्वरूप, उन्होंने एशिया में ब्रिटिश व्यापार में हिस्सेदारी और ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करने की मांग की, जिस पर कंपनी ने आपत्ति जताई।

- 1813 के चार्टर एक्ट ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। अन्य ब्रिटिश व्यापारियों को एक सख्त लाइसेंस प्रणाली के तहत भारत में व्यापार करने की अनुमति थी। लेकिन चीन के साथ व्यापार (अफीम व्यापार) और भारत के साथ चाय के व्यापार में कंपनी का एकाधिकार बरकरार रहा।
- कंपनी के शासन को और 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था।
- इस अधिनियम ने मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने और धार्मिक धर्मांतरण में संलग्न होने की स्वतंत्रता भी दी। अधिनियम के अनुसार, मिशनरी ब्रिटिश भारत के लिए एक बिशप की नियुक्ति प्राप्त करने में सफल रहे, जिसका मुख्यालय कलकत्ता में था।
- इस अधिनियम ने कंपनी के क्षेत्रीय राजस्व और वाणिज्यिक लाभ को नियंत्रित किया। इसे अपने क्षेत्रीय और वाणिज्यिक खातों को अलग रखने के लिए कहा गया था।
- एक प्रावधान यह भी था कि कंपनी को भारतीयों की शिक्षा पर हर साल 1 लाख रुपये का निवेश करना चाहिए।
- इसने भारत में स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने और उन्हें भुगतान न करने वालों को दंडित करने का अधिकार दिया।

1833 का चार्टर अधिनियम

IASBABA

- इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया,जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थीं । इस प्रकार, इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया, जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था । लॉर्ड विलियम बैंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे ।
- इसने मद्रास और बंबई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया । भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिये गये । इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया ।
- ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया । अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया । इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए ।
- सपरिषद गवर्नर जनरल को कंपनी के नागरिक व सैन्य संबंधों के नियंत्रण, अधीक्षण और निर्देशित करने की शक्ति प्रदान की गयी| केंद्रीय सरकार का राजस्व वृद्धि और व्यय पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया गया| अतः सभी वित्तीय व प्रशासनिक शक्तियों का केन्द्रीकरण गवर्नर जनरल के हाथों में कर दिया गया|
- कार्यकारिणी परिषद में एक विधि सदस्य (लॉर्ड मैकाले) की नियुक्ति की गयी परंतु इसे अंशकालिक सदस्यता दी गयी (मत देने का अधिकार नहीं)
- भारतीय क़ानूनों का संहिताकरण करने हेतु एक विधि आयोग का गठन किया गया लॉर्ड मैकाले प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष था
- गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को सम्पूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया
- चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद , कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया ।
- अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूलवंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया

लॉर्ड **विलियम "बेंटिंक"** भारत **के पहले गवर्नर-जनरल थे।**

- इस अधिनियम ने एक वाणिज्यिक निकाय के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की सभी गतिविधियों को समाप्त कर दिया।
- कंपनी को विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय का कार्य दिया गया (सरकार जो कहती है उसे लागू करें) ।

सार: 1833 का चार्टर अधिनियम

- 1833 के चार्टर एक्ट में ☐ इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल , जनरल बना दिया ☐ मद्रास और बंबई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया गया ☐ भारत के गवर्नर जनरल को पूरे बिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिये गये । ☐ EIC की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया, EIC प्रशासनिक निकाय बन गया ☐ सिविल सेवकों के लिए चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन भारतीयों को भी शामिल करने का प्रयास(लेकिन यह प्रयास असफल रहा)

IASBABA

1853 का चार्टर अधिनियम

अधिनियम की विशेषताएं

- इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। इसके तहत परिषद में छह नए पार्षद और जोड़े गए , इन्हें विधान पार्षद कहा गया। दूसरे शब्दों में, इसने गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किय , जिसे भारतीय (केंद्रीय) विधान परिषद कहा गया।

- इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। गवर्नर - जनरल की परिषद में छह नए सदस्यों में से , चार का चुनाव बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। परिषद की इस शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया। इसमें वही प्रक्रियाएं अपनाई गईं, जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थीं। इस प्रकार, विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया, जिसके विशेष मशीनरी और प्रक्रिया की जरूरत है!

- 1853 के चार्टर एक्ट ने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। लेकिन पूर्व अधिनियमों के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया था। इससे स्पष्ट था कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता था।

- अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों, उसके सचिव और अन्य अधिकारियों का वेतन ब्रिटिश सरकार द्वारा तय किया जाएगा, लेकिन भुगतान कंपनी के फंड से किया जाएगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के निदेशकों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई, जिनमें से 6 को क्राउन द्वारा नामांकित किया जाना था

- सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ किया , इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई और इसके लिए 1854 में (भारतीय सिविल सेवा के संबंध में) मैकाले समिति की नियुक्त की गई।

सार: 1853 का चार्टर अधिनियम

1833 के चार्टर अधिनियम गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया ☐ भारतीय (केंद्रीय) विधान परिषद ने मिनी संसद के रूप में कार्य किया ☐ प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व दिया गया ☐ सिविल सेवा परीक्षा भारतीय लोगों सहित सभी के लिए खोल दी गयी ☐ कंपनी के शासन को विस्तारित किया और इसे भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया ☐ किसी भी समय कंपनी के नियम को समाप्त किया जा सकता था

उपरोक्त घटनाओं से हम देख सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी मामलों को नियंत्रित करने के लिए किस तरह से लगातार प्रयोग किए और सरकार ने पूर्ण केंद्रीकरण की नींव कैसे रखी।

1857 का विद्रोह या सिपाही विद्रोह

IASBABA

- 1857 तक, अंग्रेजों ने भारत में एक विस्तारवादी नीति का पालन किया। गवर्नर जनरल द्वारा बनाई गई नीतियों ने भारतीय समाज के हर वर्ग पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। इसने भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक को जन्म दिया - 1857 का विद्रोह। यह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पहला विद्रोह था जिसने व्यापक रूप ले लिया। (ऐसे कई कारण थे, जिनके बारे में आप इतिहास में पढ़ेंगे)
- इसलिए, इस विद्रोह या विद्रोह के कारण, अंग्रेजों ने एक अधिनियम बनाने का फैसला किया, जिसे भारत की अच्छी सरकार के लिए अधिनियम के रूप में जाना जाता है।

ताज का शासन (The Crown Rule) (1858-1947)

- अब सभी अधिनियमों को या तो भारत सरकार (GOI) अधिनियम या भारतीय परिषद अधिनियम कहा जाता था।

भारत सरकार अधिनियम 1858

(या भारत में अच्छी सरकार के लिए अधिनियम):

- अगस्त 1858 ई. में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित कर भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया| इस अधिनियम द्वारा भारत के शासन का नियंत्रण ब्रिटिश सम्राट को सौंप दिया गया| यह 1857 के विद्रोह का परिणाम था| इस उद्घोषणा द्वारा भारत के लोगों को यह आश्वासन दिया गया कि जाति,रंग व प्रजाति आदि के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा|

अधिनियम की विशेषताएं

- इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। वह (वायसराय- जिसका अर्थ था-सम्राट का प्रतिनिधि)भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने।
- इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट समाप्त कर भारत में शासन की द्वैध प्रणाली समाप्त कर दी।
- एक नए पद, भारत के राज्य सचिव, का सृजन किया गया; जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और ब्रिटिश अंतत: संसद के प्रति उत्तरदायी था।
- भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जो एक सलाहकार समिति थी। परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया।
- इस कानून के तहत भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया, जो एक निगमित निकाय थी और जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था। इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था।
- उद्घोषणा में सभी भारतीय राजाओं के अधिकारों के सम्मान वादा किया गया और भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों के विस्तार पर रोक लगा दी गयी, ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया|
- इसमें लोगों के प्राचीन अधिकारों व परम्पराओं आदि के सम्मान और न्याय,सद्भाव व धार्मिक सहिष्णुता की नीति का अनुसरण करने का वादा किया गया |
- इसमें घोषित किया गया कि प्रत्येक व्यक्ति ,जाति और धर्म के भेदभाव के बिना,केवल अपनी योग्यता और शिक्षा के आधार पर प्रशासनिक सेवाओं में प्रवेश पाने का हक़दार होगा|
- अध्यादेश जारी करने का अधिकार वायसराय को दिया गया।

IASBABA

कैसे याद करें?

- गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। वह (वायसराय- जिसका अर्थ था-सम्राट का प्रतिनिधि) भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने।

- जब भारत का शासन कंपनी के शासन से क्राउन के शासन में स्थानांतरित कर दिया गया, तो महामहिम सोच रहे थे - "वायसराय ऑफ इंडिया" के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार कौन हो सकता है ("Who CAN be the best suitable candidate for VOI)?"

एक व्यक्ति "I CAN" कहकर आगे आया क्योंकि मेरा नाम "कैन" से शुरू होता है। आई एम कैनिंग

लॉर्ड कैनिंग

सार: 1858 का भारत शासन अधिनियम

- 1857 के विद्रोह/सिपाही विद्रोह के बाद ☐ अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया ☐ गवर्नरों, क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियां ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी
- गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया ☐ द्वैध शासन की प्रणाली को समाप्त कर दिया (यानी उसने COD + BOC को समाप्त कर दिया)
- ☐भारत के राज्य सचिव (SOS) की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद भी बनाई। ☐ भारत के राज्य सचिव को भारतीय प्रशासन पर पूर्ण अधिकार और नियंत्रण दिया गया।
- 1858 का भारत शासन अधिनियम को भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा गया☐ प्रशासन मशीनरी में सुधार करके ☐ किंतु सरकार की व्यवस्था में किसी ठोस ढंग से कोई परिवर्तन नहीं हुआ

1861, 1892 और 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम (Indian Councils Act of 1861, 1892 and 1909)

- हमने देखा था कि 1853 के चार्टर एक्ट ने भारतीय (केंद्रीय) विधान परिषद नामक एक अलग विधान परिषद बनाई थी।
- 1857 के विद्रोह के बाद, ब्रिटिश सरकार ने अपने देश **के प्रशासन में भारतीयों का सहयोग लेने की आवश्यकता महसूस की।**
- संघ की इस नीति के अनुसरण में ब्रिटिश संसद द्वारा तीन अधिनियम बनाए गए।

1861 का भारतीय परिषद अधिनियम

भारतीय परिषद अधिनियम (1861) भारत के संवैधानिक इतिहास की एक युगांतकारी तथा महत्त्वपूर्ण घटना है। यह मुख्य रूप से दो कारणों से विशेष है। एक तो यह कि इसने गवर्नर-जनरल को अपनी विस्तारित परिषद में भारतीय जनता के प्रतिनिधियों को नामजद करके उन्हें विधायी कार्य से संबद्ध करने का अधिकार प्रदान दिया तथा दूसरा यह कि इसने गवर्नर-जनरल की परिषद की विधायी शक्तियों का विकेन्द्रीकरण कर दिया, जिससे बम्बई और मद्रास की सरकारों को भी विधायी शक्ति प्रदान की गयी।

IASBABA

अधिनियम की विशेषताएं:

- यह पहला ऐसा अधिनियम था, जिसमें 'विभागीय प्रणाली' एवं 'मंत्रिमंडलीय प्रणाली' की नींव रखी गयी थी। पहली बार विधि निर्माण कार्य में भारतीयों का सहयोग लेने का प्रयास किया गया।गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को नियम, उपनियम तथा परिनियम बनाने का अधिकार दिया गया था।
- वायसराय की कार्यकारी परिषद् में एक पांचवां सदस्य सम्मिलित कर दिया गया, जो एक विधि वृत्ति (legal profession) का व्यक्ति था, एक विधिवेत्ता न कि एक वकील। इस अधिनियम से पहले केंद्रीय कार्यकारिणी मे 5 सदस्य होते थे। इन सदस्यों मे से 3 सदस्य ऐसे होते थे जिन्हें भारत मे काम करने का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होता था।
- कानून निर्माण के लिए वायसराय की काउंसिल में कम से कम 6 एवं अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार वायसराय को दिया गया। इन सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता था।
- गवर्नर जनरल परिषद के सदस्यों को विशेष कार्य सौंप सकता था। विवादास्पद प्रश्न गवर्नर जनरल के सम्मुख प्रस्तुत होते थे और उन पर संपूर्ण परिषद द्वारा विचार किया जाता था। इस प्रकार कार्यकारिणी के दायित्व मे विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था की गई थी।
- इस अधिनियम के अनुसार बम्बई तथा मद्रास प्रांतों को अपने लिए विधि निर्माण करने तथा उसमें संशोधन करने का अधिकार पुनः दे दिया गया. इन कानूनों को गवर्नर जनरल की अनुमति आवश्यक थी. वायसराय को प्रान्तों में विधान परिषद की स्थापना का तथा लेफ़्टिनेण्ट गवर्नर की नियुक्ति का अधिकार प्राप्त हो गया। ऐसी विधान परिषदें बंगाल, उत्तर-पश्चिमी प्रांत तथा पंजाब में 1862, 1886 तथा 1897 में क्रमशः इस अधिनियम के अनुसार स्थापित की गयी।
- गवर्नर जनरल को संकटकालीन अवस्था में विधान परिषद की अनुमति के बिना ही अध्यादेश जारी करने की अनुमति दे दी गयी। ये अध्यादेश अधिकाधिक 6 माह तक लागू रह सकते थे।
- भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अनुसार गवर्नर जनरल नए प्रांतो का सृजन कर सकता था तथा ऐसे प्रांतों के लिए राज्यपाल की व्यवस्था भी कर सकता था।
- भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अनुसार प्रत्येक प्रेसीडेंसी का गवर्नर एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कर सकता था।
- कार्यकारिणी से व्यापार को संचालित करने के लिए गवर्नर जनरल नियमो एवं उपनियमों का निर्माण कर सकता था।

(1862 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने तीन भारतीयों को अपनी विधान परिषद में नामित किया)। (बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव)।

सार: भारतीय परिषद अधिनियम 1861

- कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई ☐ भारतीय परिषद अधिनियम 1861 से "प्रतिनिधि संस्थानों" की शुरुआत हुई ☐ वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर - सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था
- भारतीय परिषद अधिनियम 1861 मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की ☐ अन्य प्रांतों के लिए नई विधान परिषदों की भी स्थापना की गयी ☐ "केंद्रीकृत प्रवृत्ति की नीति को उलट दिया गया"
- भारतीय परिषद अधिनियम 1861 "पोर्टफोलियो प्रणाली" की शुरुआत की ☐ प्रत्येक विभाग का प्रभार कार्यपालिका परिषद के सदस्यों को दिया गया।

IASBABA

- वायसराय को आपातकाल के समय "अध्यादेश जारी करने की शक्ति" दी गयी।

भारतीय परिषद अधिनियम 1892

विशेषताएँ:

- इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त (गैर-सरकारी) सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था।

- इसने विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने, सदस्यों को प्रश्न करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया।

- इसमें केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में गैर-सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान था। इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर-सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति थी।

- इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों दोनों में गैर-सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सीमित और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया हालांकि चुनाव शब्द का अधिनियम में प्रयोग नहीं हुआ था। इसे निश्चित निकायों की सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन की प्रक्रिया कहा गया।

- 1892 के अधिनियम भारत के गवर्नर जनरल को ऐसा अधिकार दिया गया जिसके द्वारा वह विधान परिषदों के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा सकता था। इसकी व्यवस्थाओं के अनुसार अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 10 तथा अधिक से अधिक 16 निर्धारित की गई थी।

- इस अधिनियम द्वारा बम्बई एवं मद्रास की विधान परिषदों मे अतिरिक्त सदस्यों की संख्या मे कम-से-कम 8 और अधिक-से-अधिक 20 सदस्यों की वृद्धि की गई थी। यह वृद्धि तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार की गई थी।

- भारतीय परिषद् अधिनियम 1892 के द्वारा सपरिषद गवर्नर जनरल को सपरिषद भारत सचिव के अनुमोदन के अतिरिक्त सदस्यों के अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल को प्राधिकृत किया गया था कि वह आंशिक रूप से चुनाव पद्धति को स्वीकार कर सकता था।

- अधिनियम की व्यवस्थाओं के अंतर्गत रहते हुए परिषद सदस्यों को नियमानुसार प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया था। प्रत्येक सदस्य 9 दिन की पूर्व सूचना देकर प्रश्न पूछ सकता था। नियमानुसार अध्यक्ष बिना कारण बताये किसी प्रश्न को अस्वीकार कर सकता था।

सार: 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम

- विधान परिषद में भारतीय (गैर-सरकारी) सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई
- विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि □ बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया

IASBABA

- केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों दोनों में गैर - सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सीमित और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया ☐अधिनियम ने चुनाव के उपयोग के लिए एक सीमित और अप्रत्यक्ष प्रावधान किया ☐लेकिन "चुनाव" शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था।

भारतीय परिषद अधिनियम 1909

विशेषताएँ:

- इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफी वृद्धि की। केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 16 से 60 हो गई। प्रांतीय विधान परिषदों में इनकी संख्या एक समान नहीं थी।
- इसने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर-सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति थी।
- इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के चर्चा कार्यों का दायरा बढ़ाया। उदाहरण के तौर पर अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना आदि।
- इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्यपरिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था।
- इस अधिनियम ने पृथक् निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया।
- इसने प्रेसीडेंसी कॉरपोरेशन, चैंबर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी किया।

(लॉर्ड मिंटो (MOM) को सांप्रदायिक निर्वाचन के पिता के रूप में जाना जाता है)

सार: भारतीय परिषद अधिनियम 1909

- 1909 ☐ MOM ☐ मॉर्ले-मिंटो सुधार ☐ पृथक निर्वाचन के आधार पर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया
- भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ने केंद्रीय और प्रांतीय दोनों स्तरों पर विधान परिषद के आकार में 16 से 60 तक वृद्धि की। ☐ केंद्रीय विधान परिषद में आधिकारिक बहुमत बनाए रखा लेकिन प्रांतीय विधान परिषदों में गैर-सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति दी गयी
- विधान परिषदों के कार्यो और अधिकारों में वृद्धि ☐ सदस्य अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, बजट पर संकल्प पेश कर सकते हैं

1919 का भारत सरकार अधिनियम

क्रमिक रूप से 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया , जो 1921 से लागू हुआ। इस कानून को मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है (मांटेग्यू भारत के राज्य सचिव थे,जबकि चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे)।

IASBABA

20 अगस्त, 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था।

महत्वपूर्ण अंश:
"ब्रिटिश साम्राज्य के एक अभिन्न अंग के रूप में भारत में जिम्मेदार सरकारों की प्रगतिशील प्राप्ति की दृष्टि से प्रशासन की हर शाखा में भारतीयों की बढ़ती संगति, और स्वशासी संस्थानों का क्रमिक विकास"।

कीवर्ड था *जिम्मेदार सरकार* - शासकों को निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए।
1919 का भारत सरकार अधिनियम इस प्रकार अधिनियमित किया गया था, जो 1921 में लागू हुआ। इस अधिनियम को ***मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के रूप में भी जाना जाता है***।

अधिनियम की विशेषताएं:

- केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर एवं उन्हें पृथक् कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को, अपनी सूचियों के विषयों पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहा।

- इसने प्रांतीय विषयों को पुन: दो भागों में विभक्त किया हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था और इस कार्य में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। दूसरी ओर आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैध (यूनानी शब्द डाई-आर्की से व्युत्पन्न) शासन व्यवस्था कहा गया। हालांकि यह व्यवस्था काफी हद तक असफल ही रही।

- इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था।

- इसके अनुसार, वायसराय की कार्यकारी परिषद के छह सदस्यों में से (कमांडर-इन-चीफ़ को छोड़कर) तीन सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था।

- इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल-भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक् निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया।

- इस कानून ने संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया।

- इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया और अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया।

IASBABA

- इससे एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अतः 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया।

- इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया।

- इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य दस वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था।

सार: 1919 का भारत शासन अधिनियम

- 1917 की अगस्त घोषणा या ☐ मांटेग्यू- चेम्सफोर्ड सुधार ☐ "क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना" ☐ प्रशासन की हर शाखा में भारतीयों का अधिक सहयोग।☐ स्वशासी संस्थाओं का विकास
- 1919 का भारत शासन अधिनियम ☐ मांटेग्यू- चेम्सफोर्ड सुधार ☐ केंद्र और प्रांत के लिए पृथक विषय ☐ प्रांतीय विषय दो हस्तांतरित और आरक्षित विषयों में विभाजित हैं। ☐ हस्तांतरित = गवर्नर+मंत्रियों (विधायी परिषद के लिए जिम्मेदार)☐आरक्षित = गवर्नर+कार्यकारी परिषद (विधायी परिषद के प्रति ज़िम्मेदार नहीं) ☐ "द्वैध शासन की शुरूआत "या डाई- आर्की
- 1919 का भारत शासन अधिनियम ☐ ऊपरी सदन तथा निम्न सदन (प्रथम बार द्विसदनीय तथा प्रत्यक्ष निर्वाचन) ☐ इंडियन एसोसिएशन में वृद्धि☐ वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 में से 3 सदस्य भारतीय होने चाहिए। ☐ अन्य जातियों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व ☐ सीमित मताधिकार ☐ UPSC ☐ लंदन में भारत के उच्चायुक्त का नया कार्यालय ☐ बजट का विकेन्द्रीकरण ☐ भारत की स्थिति पर रिपोर्ट करने के लिए वैधानिक आयोग की नियुक्ति (10 वर्षों के बाद जांच रिपोर्ट)

साइमन कमीशन (1927)

- नवंबर 1927 में ही (यानी अनुसूची से 2 साल पहले), ब्रिटिश सरकार ने अपने नए संविधान के तहत भारत की स्थिति पर रिपोर्ट करने के लिए सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में सात सदस्यीय वैधानिक आयोग की नियुक्ति की घोषणा की।
- आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे और इसलिए, सभी दलों ने आयोग का बहिष्कार किया। आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की और प्रांतों में ब्रिटिश सरकार और रियासतों के एक महासंघ की स्थापना, सांप्रदायिक मतदाताओं की निरंतरता और इसी तरह, राजशाही के उन्मूलन, प्रांतों में जिम्मेदार सरकार के विस्तार की सिफारिश की।
- आयोग के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए, ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के तीन गोलमेज सम्मेलन बुलाए।
- भारतीय आंदोलनकारियों में साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए और जमकर विरोध किया। साइमन कमीशन के विरुद्ध होने वाले इस आंदोलन में कांग्रेस के साथ साथ मुस्लिम लीग ने भी भाग लिया।

आयोग की सिफारिशें:

- 1919 ई. के 'भारत सरकार अधिनियम' / 1919 Govt. of India Act के तहत लागू की गई द्वैध शासन व्यवस्था/Diarchy System को समाप्त कर दिया जाये, इसके स्थान पर प्रतिनिधि सरकार स्थापित की जाएगी।
- देश के लिए संघीय स्वरूप का संविधान बनाया जाए.

IASBABA

- उच्च न्यायालय को भारत सरकार के नियंत्रण में रखा जाए.
- बर्मा (अभी का म्यांमार) को भारत से अलग किया जाए तथा उड़ीसा एवं सिंध को अलग प्रांत का दर्जा दिया जाए.
- प्रान्तीय विधानमण्डलों/Provincial Assemblies में सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जाए.
- प्रांतीय क्षेत्र में विधि तथा व्यवस्था सहित सभी क्षेत्रों में उत्तरदायी सरकार गठित की जाए।
- यह व्यवस्था की जाए कि गवर्नर व गवर्नर-जनरल अल्पसंख्यक जातियों के हितों के प्रति विशेष ध्यान रखें.
- प्रत्येक 10 वर्ष पर एक संविधान आयोग/Constitution Commission की नियुक्ति की व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए.
- इसने सिफारिश की कि अलग-अलग मतदाता तब तक बने रहें जब तक कि सांप्रदायिक हिंसा और तनाव कम न हो जाए। साम्प्रदायिक घृणा, दरार और आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए, राज्यपाल को विवेकाधीन शक्तियां दी गईं।

उपरोक्त प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के तीन गोलमेज सम्मेलन बुलाए।

इन चर्चाओं के आधार पर, **'संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र'** तैयार किया गया और ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। इस समिति की सिफारिशों को भारत सरकार के अगले अधिनियम 1935 में (कुछ परिवर्तनों के साथ) शामिल किया गया था।

सांप्रदायिक अवार्ड (Communal Award) (1932)

- "साम्प्रदायिक निर्णय" (Communal Award or Macdonald Award) की घोषणा की. यह अंग्रेजों द्वारा भारत में अपनाई गई "फूट डालो और राज करो" की नीति का एक अन्य उदाहरण था
- सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा का उद्देश्य-अल्पसंख्यक जातियों को हिन्दुओं से अलग करना(बांटो और राज करो की नीति अपनाना)
- सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा- पृथक निर्वाचन मंडल द्वारा चुनाव (मुसलमान, सिख, दलित वर्ग)
- सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की अवधि- द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय
- सांप्रदायिक पंचाट जारी करने का कारण- अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल द्वारा चुनाव (मुसलमान ,सिख ,दलित वर्ग)
- प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं की सदस्य संख्या बढ़ाकर दोगुनी कर दी गई गयी।
- अल्पसंख्यको विशेष सीटों वाले संप्रदाय की संख्या बढ़ा दी गई। इसके अंतर्गत अब मुसलमानों, सिखो, दलितों, पिछड़ी जातियों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियनों को रखा गया
- अल्पसंख्यक के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई।
- दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उनके लिए भी पृथक निर्वाचन तथा प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया।
- स्त्रियों के लिए भी कुछ स्थान आरक्षित किए गए।
- श्रम, वाणिज्य, उद्योग, चाय बगान संघों, जमींदारों और विश्वविद्यालयों के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गयी तथा स्थान आरक्षित किये गये
- इसमें संशोधन हेतु गांधीजी ने यरवदा जेल (पूना) में आमरण अनशन किया

IASBABA

1935 का भारत सरकार अधिनियम

विशेषताएँ:

- एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रान्तों, चीफ़ कमिश्नर प्रान्तों व देशी रियासत भी सम्मिलित होंगे.
- प्रान्तों का सम्मिलित होना अनिवार्य था, परन्तु भारतीय रियासतों का सम्मिलित होना वैकल्पिक था। प्रान्तों में द्वैध शासन समाप्त कर प्रान्तीय स्वायत्ता की व्यवस्था की गयी। प्रान्तीय विधान मण्डलों का विस्तार किया गया, इसने ग्यारह प्रांतों में से छह में द्विसदनीयता का परिचय दिया। इस प्रकार, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और संयुक्त प्रांत के विधानसभाओं को एक विधान परिषद (उच्च सदन) और एक विधान सभा (निम्न सदन) से मिलकर द्विसदनीय बनाया गया। हालांकि, उन पर कई प्रतिबंध लगाए गए थे।
- संघीय विधान मंडल द्विसदनीय होना था। जिसमें संघीय सभा (निम्न सदन) तथा राज्य परिषद (उच्च सदन) थी।
- प्रान्तों को स्वशासन का अधिकार दिया जाएगा. शासन के समस्त विषयों को तीन भागों में बाँटा गया –
    i. संघीय विषय, जो केंद्र के अधीन थे;
    ii. प्रांतीय विषय, जो पूर्णतः प्रान्तों के अधीन थे; और
    iii. समवर्ती विषय, जो केंद्र और प्रांत के अधीन थे.
- परन्तु यह निश्चित किया गया कि केंद्र और प्रांतों में विरोध होने पर केंद्र का ही कानून मानी होगा. प्रांतीय विषयों में प्रान्तों को स्वशासन का अधिकार था और प्रान्तों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी अर्थात गवर्नर व्यवस्थापिका-सभा के प्रति उत्तरदायी भारतीय मंत्रियों की सलाह से कार्य करेंगे. इसी कारण से यह कहा जाता है कि इस कानून द्वारा प्रांतीय स्वशासन (provincial autonomy) की स्थापना की गई
- केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गयी। संघीय विषयों को दो भागों में संरक्षित एवं हस्तांतरित में विभाजित किया गया। संरक्षित विषय का प्रशासन गवर्नर-जनरल कुछ पार्षदों की सहायता से करता था, जो संघीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। हस्तांतरित विषयों का प्रकाशन गवर्नर-जनरल व मंत्रियों को सौंपा गया। मंत्री विधानमंडल के सदस्यों में से चुने जाते थे तथा उसके प्रति उत्तरदायी होते थे।
- सुरक्षित विषयों में-विदेशी मामले, रक्षा, जनजातीय क्षेत्र तथा धार्मिक मामले थे- जिनका प्रशासन गवर्नर-जनरल को कार्यकारी पार्षदों की सलाह पर करना था। कार्यकारी पार्षद, केंद्रीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थे।
- हस्तांतरित विषयों में वे सभी अन्य विषय सम्मिलित थे, जो सुरक्षित विषयों में सम्मिलित नहीं थे। हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर-जनरल को व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचित मंत्रियों की सलाह से करना था। ये मंत्री केंद्रीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थे तथा अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर इन मंत्रियों को त्यागपत्र देना अनिवार्य था।
- विवादों के निपटारे के लिए संघीय न्यायालय अंतिम न्यायालय नहीं था। अंतिम न्यायालय 'प्रिवी कौंसिल' थी।
- बर्मा (वर्तमान म्यांमार) को भारत से अलग कर दिया गया।
- गृह सरकार में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिन विषयों पर गवर्नर अपने मंत्रियों के सहयोग से कार्य करता था, उस पर उन्होंने भारतमंत्री के अधिकार को समाप्त कर दिया और साथ ही 'इण्डियन कौंसिल' को समाप्त कर दिया गया।
- अधिनियम के तहत एक संघीय न्यायालय एवं 'रिजर्व बैंक ऑफ़ इण्डिया' की स्थापना की गयी।
- प्रान्तों को भी आंशिक रूप से पुनर्संगठित किया| सिंध प्रान्त को बम्बई से अलग कर दिया गया| बिहार एवं उड़ीसा प्रांत को बिहार और उड़ीसा नाम के दो अलग-अलग प्रान्तों में बाँट दिया गया|

IASBABA

- इसने वंचित वर्गों (अनुसूचित जातियों), महिलाओं और श्रमिकों (श्रमिकों) के लिए अलग निर्वाचक मंडल प्रदान करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को आगे बढ़ाया।
- इसने भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत की परिषद को समाप्त कर दिया। भारत के राज्य सचिव को सलाहकारों की एक टीम प्रदान की गई थी।
- इसने देश की मुद्रा और ऋण को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान किया।
- इसने न केवल एक संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की बल्कि दो या अधिक प्रांतों के लिए एक प्रांतीय लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की।
- इसने एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया, जिसे 1937 में स्थापित किया गया था।

सार: 1935 का भारत सरकार अधिनियम

- पूर्ण उत्तरदायी सरकार □ इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की , जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। □ संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई क्योंकि देसी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था ।
- संघीय सूची+ राज्य सूची + समवर्ती सूची + अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दे दी गई
- इसने प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी तथा प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया। राज्यों को अपने दायरे में रह संविधान उन क्षेत्रों में कर स्वायत्त तरीके से तीन पृथक् क्षेत्रों में शासन का अधिकार दिया गया। □ गवर्नर को राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक था ।
- केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ किया। परिणामतः संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ा ।
- इसने 11 राज्यों में से छह में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की ।
- इसने दलित जातियों , महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया ।
- इसने भारत शासन अधिनियम , 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया । इंग्लैंड में भारत सचिव को 4 सलाहकारों की टीम मिल गई ।
- इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिये भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई ।
- प्रांतीय सेवा आयोग और दो या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना भी की ।
- 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई ।

IASBABA

1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम

3 जून, 1947 को भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन योजना को आगे बढ़ाया, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम (1947) को लागू करके योजना को तत्काल प्रभाव में लाया गया। यह अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश हुआ और 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हो गया।

अधिनियम की विशेषताएं

- इसने भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया और 15 अगस्त, 1947 से भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित कर दिया।
- अधिनियम ने भारत के विभाजन और ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने के अधिकार के साथ भारत और पाकिस्तान के दो स्वतंत्र राज्य के निर्माण का प्रावधान किया।
- अधिनियम ने वायसराय के पद को समाप्त कर दिया और प्रत्येक शासन के लिए गवर्नर जनरल पद का प्रावधान किया, जिसे ब्रिटिश राजा द्वारा डोमिनियन कैबिनेट की सलाह पर नियुक्त किया जाना था। । ब्रिटेन में महामहिम की सरकार को भारत या पाकिस्तान सरकार के संबंध में कोई जिम्मेदारी नहीं थी।
- इसने दोनों प्रभुत्वों की संविधान सभाओं को अपने संबंधित राष्ट्रों के लिए कोई भी संविधान तैयार करने और उसे अपनाने और ब्रिटिश संसद के किसी भी अधिनियम को निरस्त करने का अधिकार दिया, जिसमें स्वतंत्रता अधिनियम भी शामिल है।
- अधिनियम ने दोनों राज्यों की संविधान सभाओं को अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया, जब तक कि नए संविधानों को तैयार और लागू नहीं हो जाये। 15 अगस्त, 1947 के बाद पारित ब्रिटिश संसद का कोई भी अधिनियम तब तक किसी भी नए राज्य में लागु नहीं हो सकता था, जब तक कि उसे राज्य के विधान द्वारा कानून के दायरे में नहीं लाया जाता।
- अधिनियम ने भारत के लिए राज्य सचिव के कार्यालय को समाप्त कर दिया और अपने कार्यों को राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को हस्तांतरित कर दिया।
- अधिनियम ने 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोपरि और जनजातीय क्षेत्रों के साथ संधि संबंधों के समाप्ती की घोषणा की।
- इसने भारतीय रियासतों को या तो भारत के डोमिनियन या पाकिस्तान के डोमिनियन में शामिल होने या स्वतंत्र रहने की स्वतंत्रता दी।
- जब तक कि नए संविधान नहीं बनते तब तक के लिए 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा सभी राज्यों और प्रांतों के शासन का प्रावधान किया। तथापि, अधिनियम में संशोधन करने के लिए राज्यों को अधिकृत किया गया था।
- इसने ब्रिटिश सम्राट को अपने वीटो बिलों के अधिकार से वंचित कर दिया या उनकी मंजूरी के लिए कुछ बिलों के आरक्षण की माँग की। लेकिन, यह अधिकार गवर्नर जेनरल के लिए आरक्षित था। महामहिम के नाम पर किसी भी बिल को स्वीकार करने की पूरी शक्ति गवर्नर जनरल के पास होगी।
- अधिनियम ने भारत के गवर्नर-जनरल और प्रांतीय गवर्नरों को राज्यों के संवैधानिक (नाममात्र) प्रमुखों के रूप में नामित किया। उन्हें सभी मामलों में संबंधित मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्रवाई करने के लिए बनाया गया था।
- अधिनियम ने इंग्लैंड के राजा के शाही खिताब से भारत के सम्राट का खिताब हटा दिया।
- अधिनियम ने भारत के लिए राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवाओं में नियुक्ति और पदों के आरक्षण को बंद कर दिया। 15 अगस्त, 1947 से पहले नियुक्त सिविल सेवाओं के सदस्य उन सभी लाभों का आनंद लेना जारी रखेंगे, जो वे उस समय तक हकदार थे।

IASBABA

लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के पहले गवर्नर-जनरल बने। उन्होंने स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को शपथ दिलाई। 1946 में गठित भारत की संविधान सभा भारतीय डोमिनियन की संसद बन गई।

विविध बिंदु (Miscellaneous Points)

- वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में जिला कलेक्टर के पद का गठन किया लेकिन बाद में कॉर्नवालिस द्वारा न्यायिक शक्ति, जिला कलेक्टर से अलग कर दी गई।
- 1833 के चार्टर एक्ट से पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और बाद में निर्मित कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया।
- 1833 चार्टर अधिनियम, 1909 के अधिनियम से पहले सबसे महत्वपूर्ण चार्टर था।
- 1773 से 1858 तक, अंग्रेजों ने सत्ता के केंद्रीकरण के लिए प्रयास किया। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के अनुसार, ये प्रांत सत्ता हस्तांतरण की ओर बढ़ गये।
- अनियंत्रित कार्यपालिका की शक्तियों से भारतीय प्रशासन ने विधानमंडल और जनता के प्रति उत्तरदायी सरकार का रूप ले लिया|
- विभागीय प्रणाली का विकास और बजट,शक्ति के पृथक्करण की ओर इशारा करता है।
- वित्तीय विकेंद्रीकरण के संबंध में लॉर्ड मेयो के प्रस्ताव ने भारत में स्थानीय स्व-सरकारी संस्थानों के विकास की कल्पना की (1870)।
- 1882: लॉर्ड रिपन के प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन के 'मैग्नाकार्टा' के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। उन्हें 'भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक' माना जाता है।
- 1921: रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया।
- 1947 तक, भारत सरकार ने केवल 1919 अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्य किया। फेडरेशन और द्वैध शासन से संबंधित 1935 अधिनियम के प्रावधानों को कभी लागू नहीं किया गया।
- 1919 अधिनियम द्वारा प्रदान की गई कार्यकारी परिषद ने 1947 तक वायसराय को सलाह देना जारी रखा।
- विधान परिषद और विधान सभा को स्वतंत्रता के बाद राज्यसभा और लोकसभा के रूप में जाना जाता है।

कुछ महत्वपूर्ण घटनाएँ:

- 1922 - महात्मा गांधी ने कहा कि भारत के राजनीतिक भाग्य का निर्धारण स्वयं भारतीयों द्वारा किया जाना चाहिए।
- मई 17, 1927 - बंबई अधिवेशन में, मोतीलाल नेहरू ने भारत के लिए संविधान निर्माण हेतु कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक कराने का संकल्प लिया।

IASBABA

- मई 19, 1928 - सभी पार्टी सम्मेलन में भारत के संविधान के सिद्धांतों को निर्धारित करने के लिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था।
- 1928 नेहरू रिपोर्ट: 10 अगस्त 1928 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और इसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया।
- यह भारतीयों द्वारा भारत के लिए एक पूर्ण संविधान तैयार करने का प्रयास था।
- 1934 – भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार एम.एन. रॉय ने रखा।
- 1935 – 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की।
- 1938 – 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा।
- 1940 – अंततः ब्रिटिश सरकार ने मांग स्वीकार कर ली (अगस्त प्रस्ताव, 1940)
- 1942 – 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य, एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए। इस संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था। क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था, मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत को दो स्वायत्त भागों में बांट दिया जाए, जिनकी अपनी - अपनी संविधान सभाएं हों।
- 1946 – भारत में एक कैबिनेट मिशन को भेजा गया ☐ उसने ऐसी संविधान सभा के निर्माण की योजना सामने रखी, जिसने मुस्लिम लीग को काफी हद तक संतुष्ट कर दिया।

कैबिनेट मिशन योजना

- तीन सदस्यों (लॉर्ड पेथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर) से युक्त कैबिनेट मिशन भारत आया।
- कैबिनेट मिशन योजना द्वारा तैयार की गई योजना के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा (CA) का गठन किया गया था।

योजना की विशेषताएं: (महत्वपूर्ण नहीं, केवल बोल्ड लाइनों को याद रखें)

- **जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन** : प्रत्येक प्रांत और रियासतों को उनकी संबंधित आबादी के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थीं। (प्रति मिलियन जनसंख्या पर 1 सीट)
- प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित सीटों का निर्णय उनकी जनसंख्या के अनुपात में **तीन प्रमुख समुदायों-मुस्लिम, सिख और सामान्य** (मुसलमानों और सिखों को छोड़कर सभी) के बीच किया जाना था।
- **पृथक निर्वाचक मंडल** : प्रांतीय विधान सभा में प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों को उस समुदाय के सदस्यों द्वारा चुना जाना था।
- **एकल संक्रमणीय मत** ** के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति से मतदान होना था।
- रियासतों के प्रतिनिधियों को रियासतों के प्रमुखों द्वारा मनोनीत किया जाना था।
- संविधान सभा को **आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत निकाय होना था**।
- **कोई वयस्क मताधिकार और प्रत्यक्ष चुनाव** नहीं: संविधान सभा का चुनाव भारत के लोगों द्वारा सीधे वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया था**

IASBABA

- संविधान सभा **में** भारतीय समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधि शामिल थे- हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो-इंडियन, भारतीय ईसाई, एससी, एसटी इन सभी वर्गों की महिलाओं सहित।संविधान सभा में **सभी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व (महात्मा गांधी** और एम ए जिन्ना को छोड़कर) शामिल थे।

संविधान सभा (CA) के चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में हुए थे

कुछ महत्वपूर्ण तथ्य:

- **डॉ सच्चिदानंद सिन्हा** को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था।
- बाद में, **डॉ राजेंद्र प्रसाद** और **हरेंद्र कुमार मुखर्जी** क्रमशः विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने गए।
- सर बीएन राव को सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था।

बस इतना याद रखे कि डॉ.राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे।

IASBABA